

न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी, लोहरदगा।
(जिला नीलाम पत्र शाखा)

वाद संख्या 44/10-11, TR No 136/20-21

कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमण्डल लोहरदगा :- अधियाचक बनाम

मेसर्स जगदम्बा ऑचल इन्ड्रीस्टीज C/O, सतीस कुमार गोराई,
ग्राम-सेन्हा पोस्ट+थाना-सेन्हा, जिला-लोहरदगा :- देनदार

आदेश

27/11/22 यह वाद कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमण्डल लोहरदगा द्वारा बिजली विपत्र राशि जमा नहीं करने पर देनदार मेसर्स जगदम्बा ऑचल इन्ड्रीस्टीज C/O, सतीस कुमार गोराई, ग्राम+पोस्ट-सेन्हा, थाना-कुडू, जिला-लोहरदगा के विरुद्ध मो0 45355/- (पैंतालीस हजार तीन सौ पचपन) रुपये वर्ष 2010 में नीलाम पत्र वाद वसूली हेतु दायर किया गया है।

यह वाद दिसम्बर 2020 में इस न्यायालय को प्राप्त है। कार्यालय पत्रांक 245, दिनांक 28.09.2021 के द्वारा अंतिम रूप से उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। कार्यालय पत्रांक 76, दिनांक 14.03.2018 द्वारा पूर्व में भी नोटिस देनदार के दिये पते गये पते पर तामिला नहीं होने की स्थिति में भेजा गया गया था। इस न्यायालय को प्राप्त होने बाद भी कार्यालय पत्रांक 586, दिनांक 22.11.2021, पत्रांक 661, दिनांक 01.12.2021 एवं पत्रांक 107, दिनांक 22.02.2022 के द्वारा स्मारित किया गया। अधियाचक की ओर से कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुए। साथ ही दिये गये पत्र का का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। मौखिक रूप से भी कार्यालय अभियंता को कहा गया किन्तु किसी तरह का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में इस वाद का चलाना समय की वर्षादी है।

उक्त परिस्थिति में देनदार मेसर्स जगदम्बा ऑचल इन्ड्रीस्टीज C/O, सतीस कुमार गोराई, ग्राम+पोस्ट+थाना-सेन्हा के नीलाम पत्र वाद संख्या 44/10-11, TR No 136/20-21 की कार्रवाई लोक मांग की धारा 53(2) के अन्तर्गत समाप्त करते हुए खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधियाचक को भी दिया जाय।

सत्यापित/लेखापित

जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी,
लोहरदगा।